न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) शामली।

Criminal Misc. Cases-124/2026

श्रीपाल बनाम जिशान आदि।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–कोतवाली शामली, जनपद शामली।

दिनांक–28.07.2026

पत्रावली आज पेश हुई। आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

आवेदक श्रीपाल की तरफ से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के प्रकाश में विपक्षीगण जिशान पुत्र अहसान, अहसान पुत्र अज्ञात व सात–आठ अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का निवेदन किया गया है।

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि प्रार्थी निवासी ग्राम खेडी करमू थाना शामली का निवासी है। प्रार्थी भैसों की डेरी व भैसो के खरीदने बेचने का कार्य करता है। प्रार्थी का पूर्व से जिशान पुत्र अहसान एवं उसके पिता अहसान पुत्र अज्ञात निवासी मौहल्ला नो–कुआं रोड शामली थाना शामली जिला शामली के साथ भैसों को क्रय विक्रय का लेन देन चलता रहा है। जिसमें उक्त अभियुक्तगण पर प्रार्थी के अंकन 26000/–रू० (छब्बीस हजार रूपये) उधार बकाया थे जिसे समायोजित करते हुए अभियुक्तगण ने प्रार्थी को एक भैंस (कीमत अंकन 1,14,000/–रू०) (एक लाख चौदह हजार रूपये) अभियुक्तों से खरीद लेने का प्रस्ताव दिया और प्रार्थी ने भैस खरीद ली और बाकी कीमत किस्त में अदा करना तय हुआ, किन्तु उक्त जीशान प्रार्थी की डेरी पर से एक भैंस की कीमत अंकन 56000/–रू० छलपूर्वक एवं धोखाधडी करते हुए यह कहकर ले गया कि उसने प्रार्थी के साथ काम करने वाले भूषण पुत्र ओमप्रकाश निवासी नोनागली से भैंस ले जाने के लिए बात कर ली है और झूठ बोलकर धोखाधडी एवं विश्वासघात करते हुए प्रार्थी की भैंस ले गया।

वाका दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 11:00 बजे सुबह का है कि उक्त जीशान प्रार्थी की डेरी पर आया और कहा कि उसके पास अच्छी नस्ल की भैंस है प्रार्थी को खरीदनी चाहिए उसकी बातों में आकर उसी दिन शाम के करीब 07:00 बजे प्रार्थी और उक्त भूषण, जिशान के घेर स्थित नो–कुआं रोड शामली पर पहुँचे, जिशान ने रास्ते में ही प्रार्थी की मोटरसाईकिल रूकवा ली और प्रार्थी की मोटरसाईकिल यह कहकर ले ली कि वह अपने पिता अहसान को बुलाकर लाता है, उस समय प्रार्थी के पास एक थैले में अंकन 1,22,000/–रू0 (एक लाख बाईस हजार रूपये) नगद थे जिसमें भैंस खरीदने हेतू रूपयें एवं आपसी लेन देन की बाकाया राशि थी लगभग 15 मिनट बाद उक्त जिशान, अहसान एवं उसके साथ 7–8 अज्ञात व्यक्तियों को लेकर एक राय मश्वरा होकर आये और आते ही प्रार्थी व भूषण को घेर कर जाति सूचक गाली गलौच चमार गिट्टल कहते हुए गन्दी गन्दी गाली गलौच करनी शुरू कर दी। प्रार्थी व भूषण ने गाली गलौच देने से मना किया तो उक्त लोगों ने प्रार्थी के हाथों से जबरदस्ती रूपयों का थैला लूट लिया और धमकी देते हुए कहने लगे कि सालो तुम्हें जिन्दा नहीं छोडेगें और लात घूसों से प्रार्थी व भूषण के साथ मारपीट की और प्रार्थी की मोटरसाईकिल भी उक्त जीशन लेकर फरार हो गया। उक्त लोगों ने आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी व भूषण बामुश्किल अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले और घर पहुँच कर 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त वाके के गवाह सोनू पुत्र मेहन्ती आदि है। प्रार्थी ने उसी दिन दिनांक 06.03. 2026 को थाना शामली पर तहरीर दी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली को बजरिये डाक दिनांक 02.05.2026 को भेजा जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी अब मजबूर होकर माननीय न्यायालय

की शरण में आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

आवेदक ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, थानाध्यक्ष थाना शामली व पुलिस अधीक्षक शामली को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद मूल, अनुसूचित जार्ति प्रमाण पत्र व आधारकाड की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाना एवं पुलिस अधीक्षक से आख्या आहूत की गयी। पुलिस अधीक्षक एवं थाने की आख्या के अनुसार आवेदक के आरोप जाँच में असत्य पाये गये है। थाने द्वारा यह भी आख्या दी गई है कि प्रार्थना पत्र के सम्बंध में थाना हाजा पर कोई कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण पर अज्ञात लोगों के साथ मिलकर आवेदक को अनुसूचित जाति का प्रयोग कर अपमानित करने, गाली गलौच देने व धमकी देने के साथ ही साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं आवेदक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को सम्पूर्ण घटना की जानकारी है। उसके द्वारा विपक्षीगण पर जो आरोप लगाया गया है, उसे वह गवाहान प्रस्तुत कर साबित कर सकता है। घटना से सम्बंधित सभी तथ्य एवं परिस्थितियों की जानकारी आवेदक को है, विवेचना के दौरान किसी नये तथ्य एवं साक्ष्य को एकत्र किया जाना शेष नहीं है। मामले में साक्ष्य आवेदक के संज्ञान में है और वह स्वतः न्यायालय के समक्ष मामले से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ***रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2001(43) जे०आई०सी० 231*** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्णपीठ द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत मामले में मजिस्ट्रेट चाहे तो अन्वेषण के लिए भेज सकता है या परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जाँच कर सकता है या खारिज कर सकता है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ***सुखवासी बनाम राज्य उ० प्र० 2007 (59) ए० सी० सी० 739 में*** यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को स्वीकार कर सकती है अथवा परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जाँच कर सकती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र को थाने पर भेजकर 173(4) बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों के अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज कराने के बजाय प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर निस्तारित किया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार आवेदक द्वारा धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना़ पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। तदनुसार वाद लिपिक, प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करना सुनिश्चित करें। परिवादी सूची गवाहान बिना अनुचित विलम्ब के दाखिल करें। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 20.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–28.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि०, शामली।
J.O.Code–UP1761